

(AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF NOTIFICATION NO. STV(TE)B(2)4/85-II
 DATED 15-10-1987 AS REQUIRED UNDER CLAUSE(3) OF ARTICLE 348
 OF THE CONSTITUTION OF INDIA).

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
 DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION
 VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING

No. STV(TE)B(2)4/85-II

Dated Shimla-2, the 15th October, 1987.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by previso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Compounder in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure—"A" attached to this notification:-

Short title &
 Commencement,

1. (i) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Recruitment and Promotion Rules-1987 for the post of Compounder.

(ii) These shall come into force from the date of publication in the Rajnstra, Himachal Pradesh.

Rules.

2. The number of posts, classification par scale, qualification and method of Recruitment etc, for the post of Compounder shall be specified in the Annexure "A".

Repeal and
 Saving.

3. The Recruitment and Promotion Rules for the post of Compounder notified vide Industries Department Notification No. 1-150/69-SI(Estt), dated 23rd Jan. 1970 are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect the previous operation of the

contd/2

----2--

said Rules or anything done or any action taken thereunder.

By order

Attar Singh

Financial Commissioner-cum-Secretary
(Technical Education, Vocational &
Industrial Training) to the Government
of Himachal Pradesh.

Endst. No. STV(TE)B(2)4/85-II, Dated Shimla-2, the 15th October,
1987.

Copy forwarded to the:-

1. Secretary, H.P; Public Service Commission, Shimla-171002 for information with three spare copies with reference to his letter NO.6-3/71-PSC, dated 24-1-1987 and 3.6.1987.
2. The Joint Secretary(Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2.
3. All Administrative Secretaries, H.P; Government, Shimla-2, for information.
4. All Head of Departments in Himachal Pradesh.
5. The Director, Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P; Sundernagar, Distt. Mandi for information and necessary action with ten spare copies.
6. The Deputy Controller, H.P; Press, Shimla-5 for publication in Rajpatra(Extra ordinary), 70 copies of the notification be supplied to this Department.
7. Deputy Legal Remembrancer, Himachal Pradesh, Government, Shimla-2.

"K.C.SHARMA".

H. S. D.
Under Secretary(TE) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE

Recruitment and Promotion Rules for the post of Componder
in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial
Training, H.P. Government.

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Name of the post: | Componder. |
| 2. Number of posts. | 8 (Eight). |
| 3. Classification. | Class-III (Non-Gazetted). |
| 4. Scale of Pay. | Rs. 510-940. |
| 5. Whether selection post or non-selection post. | Non-Selection. |
| 6. Age for direct recruitment. | Between 18 years to 32 years. |

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Govt. including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Schedule Castes/Schedule Tribes/ other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Govt.;

Provided further that the employees of all the Public sector corporation and autonomous bodies who happened to be Government servant before absorption in Public sector Corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies at the time of autonomous bodies in such Corporation/concession in direct recruitment age admissible to Government servants. concession will not, however, be admissible to such staff of the Public sector Corporation/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the Public sector Corporation/autonomous bodies.

Note-1.

/- the posts are
advertised for
inviting

Age limit for the direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which/- applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Contd..F/2..

—2—

Note:2

Age and Experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case of the candidate otherwise well qualified.

7. Minimum educational & other qualifications required for direct recruits. ESSENTIAL
- i) Matric with Science from a recognised University/Board or equivalent,
 - ii) Diploma in Pharmacy from a recognised State Board of Technical Education or Equivalent.
- DESIRABLE
- i) Two years practical experience in reputed Hospital/Clinic/Nursing Home as Componder.
 - ii) Knowledge of customs and manner and dialects of H.P. suitability for appointment in peculiar condition prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotion. Not-applicable.
9. Period of probation if any. Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion/transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods. 100% by direct recruitment.
11. In case of recruitment by promotion, deputation /transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made. Not applicable.

Contd/4----

---4---

Note:1:-

In all cases of promotion adhoc service rendered in the feeder post upto 31.12.1983, if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the conditions;

- (a) that in all cases where a junior persons becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including adhoc service rendered upto 31.12.1983 in the feeder post).

In view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective categories post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the Junior person in the field of considerations.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less.

Provided further that where a person become ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceeding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

- (b) Similarly, in all cases of confirmation adhoc service rendered in the post upto 31.12.1983 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service.

Provided that the inter-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service shall remain unchanged.

- (c) Adhoc service rendered after 31.12.1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note:2:

Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the H.P. Public Service Commission, as and when the number of posts under Rule-2 are increased.

contd/5---

Contd. 4/-

12. If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. As may be constituted by the law, time to time.
13. Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. As required under the law.
14. Essential Recruitment for direct Recruitment: A candidate for appointment to any service or post must be:-
- (a) A citizen of India, or
 - (b) A subject of Nepal, or
 - (c) A subject to Bhutan, or
 - (d) A Tibetan refugee who come over to India before the 1st January, 1962, with the intension of permanently settling in India, or
- (a) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intension of permanently settling in India;
- Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Govt. of India.
- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Govt. of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment: Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viv-voce test, if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commissioner or other recruiting authority as the case may be.
16. Reservation: The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the services for Scheduled Castes, Scheduled Tribes/Backward Classes, other categories of persons issued by the Govt. of India from time to time.

-:5:-

17. Power to relax.

Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be ordered for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commission relaxation of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons or post.

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं
आधीगिक प्रशिक्षण विभाग ।

संख्या - एस०टी०वी०(टीई)ली(2) 4/ 85-११

तारीख - 15-८७
।

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तुक दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश लेक सेव आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कम पाहड़ा पद की बाबत संलग्न अनुबन्ध 'अ' के अनुसार निम्नलिखित भर्ती स्वं प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् -

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, कम पाहड़ा वर्ग-॥। अज्ञपत्रित पद के भर्ती स्वं प्रोन्नति नियम १९८७ है।

(II) ये नियम इस अधिसूचना के ऊपर
किये जाने को तारों से प्रबंध हैं।

(2) पदों को संभाल, वर्गीकरण, वेतनमान, 2.
अनुबन्ध और भर्ती की पदति :

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक स्वं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में कम पाहड़ा के पांच संभाल, वर्गीकरण, वेतनमान, अनुबन्ध और भर्ती की पदति रेटी गई जैसी उपावन्ध 'ह' के विवेदिष्ट है।

(3) नियन्त्रण और व्यावर्तिः

इस विभाग दो अधिसूचन सं०-१५०/
६९एस०आई०(स्था) इनक २।
जनवरी, १९८० द्वारा अधिसूचन
कम पाहड़ा है पदों के लिए भर्ती
स्वं प्रोन्नति नियम सब द्वारा
निरापेक्ष किया जाते हैं।

: 2:

परन्तु इसे निरसन से, कथित निधीं से पूर्व प्रवर्तन या उनके तदर्थीन की गई किसी वात या कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अदिश दारा,

अल्लत लिख
विद्यालय सर्व सचिव तकनीकी शिक्षा
व्यावसायिक सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्या:- स०टी०१०(टीर्ह)वी(२)४/८५-११, तारीख:-

शिमला-२ १५-८-६७

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व उचित कार्रवाई के लिए प्रेषित है-

१. समस्त सचिव/ संचुत सचिव/उप सचिव/अवसचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-२ ।
२. समस्त विभागध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
३. नियन्त्रक मुद्रण सर्व लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश शिमला की निवेदन है जिवे राजपत्र असाधारण में प्रकाशित हो और इस की 75 प्रतियाँ हस विभाग को भेजें, ताकि निधीं की प्रतियाँ विधान सभा को भेजी जा सकें ।
४. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश सुन्दरनगर जिला मण्डी(१९ प्रतियाँ) ।
५. उप विधि, परम्पराई हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-२ ।
६. सहायक विधायी प्राप्तकार (हिन्दी) हि०प्र० सचिवालय ।

ER-दृष्ट
(हरि चड्ढ)
अदर सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

तीनीयी शिक्षा व्यवसायिक संघ जैविक प्रशिक्षण विभाग हिमाचल प्रदेश में कम पांजड़र वर्ग-3 अराजपत्रित के पद की तक भर्ती की प्राप्ति नियम :-

| | |
|---|--------------------------|
| 1. पद का नाम : | कम पांजड़र । |
| 2. पदों की संख्या : | 8(आठ) |
| 3. वर्गीकरण : | चतुर्थ वर्ग (अराजपत्रित) |
| 4. वेतनमान : | 510-940 |
| 5. क्रयन पद अथवा अचर्णन पद : | अचर्ण । |
| 6. सीधी भर्ती किस जाने दाले क्वार्टिंग के लिए आएँ : | 18 से 32 वर्ष । |

परन्तु सीधी भर्ती के लिए आए सीमा तर्दह वा संविदा पर नियुक्त सहित, पहले ही सरकार की सेवा में रत अस्थाधीरों पर लागू नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि यह तर्दह आधार पर नियुक्त किया गया अस्थाधीरी इस रूप में नियुक्ति की तारीछ की अधिकवत हो गा हो तो तब तर्दह या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आए में शिथिलीकरण के लिए पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यह आर कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के क्वार्टिंगों के लिए खच्चत म आए सीमा में उतना ही शिथिलीकरण किया जा सकेगी जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण दा दिशेष आदेशों के अधीन अनुशेष है ।

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रार्थित गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में अपेलन से पूर्ण सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आए की सीमा में ऐसी ही रियासत दी जाएग जैसी सरकारी कर्मचारियों की अनुशेष है दिन्तु इस प्रकार की रियासत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीदंड को नहीं दी जाएगी जौ पश्चात्वत ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं। आर उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रार्थित गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए हैं ।

टिप्पणी : -1

सीधी भर्ती के लिए आए सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिन से की जाएगी जिसमें आवेदन आमत्रित करने के लिए राधार्थित पद विज्ञापित दा नियोजनालार्न के अधिसूचित किए जाते हैं ।

टिप्पणी : -2

अन्तिम रूपर्थित अस्थाधीरीयों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आए सीमा आर अनुभव आएग के विवेकतार शिथिल किए जा सकेंग ।

7. सीधी भर्ती किस जूने वाले व्यक्तियों के लिए
अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक आर अन्य अहंतारः ।

^{०१८० १५-००}
अनिवार्य विश्वविद्यालय
(1) मान्यता प्राप्त शिक्षाविद्यालय/ बोर्ड
से विज्ञान सहित मटिक या इसके
समतुल्य ।

(2) मान्यता प्राप्त राज्य तकनीकी
शिक्षा बोर्ड से कामसी में डिप्लोमा
या इसके समतुल्य ।

वांछनीय अहंतारः

- (1) प्रतिष्ठा प्राप्त चिकित्सालय/
लोनी/नसीग होम से
कम पाउडर के रूप में 2 वर्ष का
व्यावहारिक अनुभव ।
- (2) हिमाचल प्रदेश की एकीकौणी रीतियों
और वैज्ञानिक का ज्ञान और प्रदेश में
विधमान विशिष्ट दशाओं में
नियुक्त के लिए उपयुक्ता ।

आए नहीं ।

शैक्षिक अहंतारः नहीं ।

दो वर्ष जिसका एक वर्ष में अनधिक
स्तरी और शूद्रधि के लिए विस्तार किया
जा सकेगा जैसा पूर्ण प्राधिकारी विशेष
परिस्थितियों में और लिखित कारणों से
अदेश दे ।

शत प्रति शत प्रोन्नति द्वारा ।

8. सीधी भर्ती किस जूने वाले व्यक्तियों के
लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंतारः
प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं :

9. परिविहार की अवधि, यदि कोई हो तो :

10. भर्ती की पद्धति :
भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या
प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और
विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
शाक्तियों की प्रतिशतता :

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा
में श्रेणियों, जिसमें प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति या
स्थानान्तरण विभा जाएगा ।

लागू नहीं ।

टिप्पणी - प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पूर्ण निर्धारित नियमित से पूर्व संभरण
पद में ३१.१२.१९८३ तक की गई तदर्थ सेवा दोषी कोई हो, प्रोन्नति
के लिए इन नियमों में अधिकारित सेवा काल के लिए निम्न नलिखित
शर्तों के अधीन रहते हुए, विसाव में ली जाएगी :-

(क) उन सभी मामलों में जहाँ कोई कनिष्ठ व्यक्ति संभरण पद में अपने
कुल सेवा काल (३१.१२.१९८३ तक की गई कुल तदर्थ सेवा को शामिल
करके) के आधार पूर्ण उपरक्त निर्दिष्ट उपवन्धुओं के कारण दिनार के
लिए पात्र हो जाता है वहाँ उससे व्यक्ति सभी व्यक्ति विचार के लिए
पात्र समझे जाएगी । आर विवार करते समान कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर
रखे जाएंगे ।

३.

परन्तु प्रोन्नति के लिए लिचार लिए जूने वाले दूसी कलाकृतियों की कम होती है। तो दूसरे दर्प व्यक्ति अर्थात् इता या पद के भूती सह प्रोन्नति नियमों में विविध सेवा, जो भी करा दी जाए, हीनी चाहिए।

परन्तु यह ठीक कि जहाँ ऐसी व्यक्ति पूर्णगाने परन्तु वीर अवैष्टुली के दारणे प्रोन्नति के लिये अपावृ ही जाता है तब उसे बनिष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के लिए अपावृ इता जारी कर सकता है।

(ज) इसी प्रकार, स्थायीकरण के दूसी मामलों में ऐसे प्रद पर नियुक्ति दी जाएगी। ३०।१२।१९६३ तक इह गई व्यक्ति सेवा रदि दौर्व हो, ऐसाहा दी जाएगी।

परन्तु स्थायीकरण के परिणामस्थाय तदर्थ सेवा को हिलाए जाएगा। पारस्पारिक जटिलता, अपरिवर्तित रहेगी।

३०।१२।१९६३ के पश्चात् यो गई तदर्थ देवा प्रोन्नति/स्थायीकरण प्रयोजन के लिए हिलाए जाएगी।

टिप्पणी-२ जब दूसी नियम २ के अनुसार एंटों में ब्रैह्मी होनी है। १० और ११ के उपचर्य, सारकार इवाना जूल सेवा यादों में दुनरीहित किए जाएंगे।

१२. यदि लिनार्गेष प्रोन्नति रामिति विघ्नन हो तो उत्तीर्ण रहेंगे। जैसा दि सारकार द्वा दी गयी रामिति की जारी

१३. भूती वरने में जिन परिस्थितियों में ऐसा क्षेत्र देश लोक सेवा कार्योग से परामर्श किया जासगा। जैसा कि विधि द्वारा दिया गया विधि है।

१४. लौधी भूती लिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए देवा पद पर नियुक्ति दी जाएगी।

(क) भारत के नागरिक

(ख) नेपाल के प्रजा

(ग) भूटान के प्रजा

(घ) लिक्ष्मी शास्त्री जो १९६५ तक भूत राज्य के निवासी थे वे व्यक्ति द्वारा दिया गया है।

(ङ) भारत लौधी के लोक व्यक्ति शास्त्रीन, लौधी के लोक व्यक्ति के लोक या लोक, लोकों के लोक निटेट, रिपर्टरी लोक लोक जैसा किए जाना चाहिए।

...4...

जांतिया, नालवा, जेधर और इथोपिया से, भारत में शायी नियाएं हैं जो वास्तव में प्रवास किया है :

पान्चु प्रवार्ग(घ)(ग)(घ)और (ड) हैं जन्माधीर्ण
हें, बासित होंगे जिनके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्राप्ति-पद
जारी दिया है।

हें जन्माधीर्ण की, जिनके पासले में पात्रता का प्रमाण-
पद आवश्यक है, हिंदूत्त प्रदेश होकर ऐदा आयीए या अन्य भर्ती
प्राधिकारप द्वारा संचालित परोक्षा । सामाजिकार में प्रदेश किया या कियेगा
किन्तु उसे नियुक्ति का प्रस्ताव, भारत सरकार द्वारा उसे पात्रता का
उपेक्षित प्राप्ति-पद जारी किए जाने के प्रश्नात ही दिया जाएगा ।

15. शैक्षी भर्ती द्वारा पद पा
नियुक्ति के लिए चयन ।

शैक्षी भर्ती के प्राप्ति में, पद पर नियुक्ति
है लिए चयन, लाभिक परोक्षा के जांचार्ह पर
आर एट्टी, यथारिति, हिंदूत्त प्रदेश होक
सेवा जायीए या अन्य भर्ती प्राधिकारण
सेवा करन्तु आवश्यक या सामाजिक एवं
लिखित परोक्षा को लावदारिय परोक्षा के
आधार पर किया जाएगा जिसका काम
/पाठ्यक्रम यथारिति, डाकोग/यम्ह भर्ती
प्राधिकारण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

16.

बास्तव

जक्स सेवा में नियुक्ति, हिंदूत्त शर्त
द्वारा समयसमय पर अनुमोदित, जाल्जो
/अनुसूचित जनजातियों/ यिजड़े-लग्नी दो
अन्य प्रवाग के व्यक्तियों के लिए भारती की
वास्तव जारी किए गए आदेशों में नहीं
होगी ।

17.

शिक्षा कर्त्तव्य की शक्ति :

जहाँ राष्य सरकार की पह राष्य ही के
ऐसा करना आवश्यक है या कोविन
तो घट्ट काबी दो अनिलियित काबी का
लोक सेवा जावेय के प्रामाण में उत्तर
द्वापु, हिंदूत्त प्रदेश करने किए ।
किन्वर्ह उपर्युक्ती को किसी टर्ग या उपर्युक्ती के य
के प्रत्यग या पदों की वावट, शिक्षि
कर रक्ती ।